बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

एस०ओ०सं०–02/रेगु०–02–800–06/2024– 216/CC /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के ग्रामों को पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे वर्षों के आरक्षण प्रस्ताव के आवेदन दिनांक–13.08.2026 पर सम्यक सुनवाई के पश्चात् ईखायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–30.09.2026 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति **अनुलग्नक–1** पर है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

ठकराहाँ प्रखण्ड अंतर्गत ठकराहाँ/जगीराहाँ/मोतीपुर पंचायत/शेरा टोला/मोती टोला/रूपा टोला (जिसमें बगहा चीनी मिल द्वारा निवेदित आठ गाँव यथा–भुआल पट्टी, कोईरी पट्टी, भटहवाँ, जगीराहाँ, ठकराहाँ, मलाही टोला, मोती टोला एवं सिसवनिया) शामिल है, के किसान बगहा अथवा सेवरही अथवा सिधवलिया अथवा विष्णु सुगर मिल से गन्ना के आपूर्ति के संबंध में लिखित समझौता कर सकते है। एक ही किसान दो चीनी मिल के साथ एकरारनामा नहीं कर सकते है, अर्थात एक किसान एक ही चीनी मिल से गन्ना आपूर्ति का एकरारनामा/अनुबंध करेंगे। किसान एवं चीनी मिल के द्वारा एकरारनामा/अनुबंध पत्र पर यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि किसान स्वयं की भूमि पर खेती करते है अथवा गैररैयत है। भूमि के संबंध में खाता–खेसरा एवं रकवा अंकित करना होगा, जैसा कि गन्ना क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किया जाता है। यदि किसान रैयती किसान नहीं है तो सर्वेक्षण नीति में विहित प्रावधान का अनुकरन करते हुए जमीन के संबंध में घोषणा दे सकते है। जमीन के विवरण अर्थात् रकवा के साथ–साथ अनुमानित उपज तथा कुल गन्ना उपज का अनुमान भी अंकित किया जाएगा। एकरारनामा/अनुबंध पत्र नोटरी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा। एकरारनामा/अनुबंध पत्र की एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसी एकरारनामा के आधार पर गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण आपूर्ति का कार्य किया जाएगा। एकरारनामा कम–से–कम 01 वर्ष के लिए किया जायेगा। सेवरही चीनी मिल को मिल गेट पर क्रय करने एवं अन्य चीनी मिलों को मिल गेट पर क्रय अथवा क्रय केन्द्र स्थापित करने की अनिवार्यता होगी। यदि अनुबंध पत्र के बाद भी चीनी मिल क्रय केन्द्र नहीं खोलते अथवा मिल गेट पर गन्ना खरीद नहीं करते हैं तो अनुबंध को रद्द करते हुए चीनी मिल के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी। संबंधित चीनी मिल ईख विकास का कार्य निश्चित रूप से करेंगे, ताकि किसानों के गन्ना उत्पादकता में वृद्धि हो सकें। इस आदेश का प्रभावी समय–सीमा वही होगी जो मूल आदेश संख्या–936/ई०का० दिनांक–12.09.2024 तथा अनुवर्ती संशोधित आदेश संख्या–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 में निर्धारित है। चीनी मिलों के द्वारा बिहार राज्य में लागू गन्ना मूल्य के अनुसार ही किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है। यदि पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हो तो उन्हें ईख अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/9/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–06/2024– 216/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को गजट में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–06/2024– 216/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि– अधिशासी निदेशक, मेसर्स द यूनाईटेड प्रोविन्स सुगर कं० लि०, सेवरही, जिला–कुशीनगर (उ०प्र०)/राज्य की सभी चीनी मिलें/अध्यक्ष, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–06/2024– 216/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि– गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश/समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/पूर्वी चम्पारण/गोपालगंज/विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–06/2024– 216/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–06/2024– 216/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3
30.09.2026	मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के ग्रामों को पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे वर्षों के आरक्षण प्रस्ताव पर सुनवाई की गयी। **उपस्थिति :–** दी यूनाईटेड प्रोविन्स सुगर कंपनी, सेवरही, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि श्री रामवीर सिंह एवं श्री शिवशंकर आजाद, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज ने वी.सी. से सुनवाई में भाग लिया। सिधवलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि श्री आर० एस० मिश्रा एवं विष्णु सुगर मिल्स के प्रतिनिधि श्री पानिकर, श्री वेदव्रत कुमार, संयुक्त ईखायुक्त सुनवाई में भौतिक रूप से उपस्थित हैं। **मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा के प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए। मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि0, बगहा के द्वारा उनके अधिवक्ता श्री अनिल कुमार, AUIN-102847 द्वारा एक समय आवेदन ईखायुक्त कार्यालय को हस्तगत कराया गया। उक्त के माध्यम से 10 (दस) दिनों की अतिरिक्त समय की माँग की गयी।** दी यूनाइटेड प्रोविन्स सुगर कंपनी, सेवरही, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने अपने आवेदन की तरफ ध्यान आकर्षित किया तथा इस संबंध में चीनी मिल के पक्ष में आदेश की अपेक्षा की गयी। मेसर्स सिधवलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया कि उनकी चीनी मिल के द्वारा ईखायुक्त के वर्ष 2024 एवं 2025 के आदेश के अनुसार ठकराहाँ प्रखण्ड के गाँव से गन्ना का क्रय किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि वर्तमान व्यवस्था को वर्ष 2026–27 में भी यथावत रखा जाय। मेसर्स विष्णु चीनी मिल के प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक–14.08.2026 को चीनी मिल के द्वारा रखे गये पक्ष को दोहराया गया तथा कहा गया कि उनकी चीनी मिल के द्वारा ईखायुक्त के वर्ष 2024 एवं 2025 के आदेश के अनुसार ठकराहाँ प्रखण्ड के गाँव से गन्ना का क्रय किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि वर्तमान व्यवस्था को वर्ष 2026–27 में भी यथावत रखा जाय। उन्होंने सेवरही चीनी मिल के आवेदन के आलोक में कोई पक्ष नहीं रखा। बगहा चीनी मिल से प्राप्त क्षेत्र आरक्षण अनुरोध एवं इस संबंध में प्रभावित चीनी मिलों के पक्ष को दिनांक–14.08.2026 एवं 30.09.2026 को सुनने के उपरांत निम्न संदर्भों में विचार करना प्रासंगिक है :–	

30.09.2026	(1.) क्या बगहा चीनी मिल का समय आवेदन विचार योग्य है? (2.) क्या मेसर्स दी यूनाईटेड प्रोविन्स सुगर कम्पनी लिमिटेड के आवदेन के आलोक में बगहा चीनी मिल द्वारा क्षेत्र आरक्षण का आवेदन सुनवाई योग्य है ? (3.) (क) क्या ईखायुक्त द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश से प्रासंगिक गाँव आच्छादित है एवं क्या इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है ? (ख) क्या बगहा चीनी मिल के पक्ष में आठ गाँव (भुआल पट्टी, कोईरी पट्टी, भटहवाँ, जगीराहा, ठकराहा, मलाही टोला, मोती टोला एवं सिसवनिया) को आरक्षित की जा सकती है ? क्या बगहा चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षण किये बिना भी इन गाँवों से बगहा चीनी मिल को गन्ना खरीद की अनुमति दी जा सकती है? उपरोक्त के आलोक में निष्कर्ष से पूर्व प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है। **(1.) क्या बगहा चीनी मिल का समय आवेदन विचार योग्य है?** इस संबंध में विचार करने हेतु बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली,1978 के प्रावधान का संज्ञान करना आवश्यक है। बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली,1978 की नियम–25 का उद्धरण निम्न प्रकार है :– "कारखानों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण एवं उन क्षेत्रों में उपजायी गई ईख के क्रय की प्रक्रिया किसी बाह्य या आंतरिक कारखानें के लिए कोई क्षेत्र आरक्षित करने के संबंध में ईख आयुक्त का आदेश समान्यतः उस पेराई वर्ष के 31 जुलाई को या उसके पूर्व निर्गत किया जायेगा, जिस वर्ष के लिए उक्त क्षेत्र को आरक्षित करने का प्रस्ताव हो। परन्तु असाधारण परिस्थितियों में, जो लेखबद्ध की जाय, ऐसा आदेश 31 जुलाई और निकट आगामी **30 सितम्बर** के बीच किसी भी समय निर्गत किया जा सकेगा"। मेसर्स तिरूपति सुगर लिमिटेड, बगहा द्वारा समय आवेदन यदि स्वीकार की जाती है तो बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमवली,1978 की नियम–25 के प्रावधान में निर्धारित अंतिम समय सीमा 30 सितम्बर का उल्लंघन होगा। अत्एव मेसर्स तिरूपति सुगर लिमिटेड, बगहा का समय आवेदन विचारणीय नहीं है। (2.) **क्या मेसर्स दी यूनाईटेड प्रोविन्स सुगर कम्पनी लिमिटेड के आवदेन के आलोक में बगहा चीनी मिल द्वारा क्षेत्र आरक्षण का आवेदन सुनवाई योग्य है ?** मेसर्स दी यूनाईटेड प्रोविन्स सुगर कम्पनी लिमिटेड ने अपने पत्रांक–गन्ना–सुर०/2026–27/881 दिनांक–21.09.2026 से निवेदन किया गया है कि ईखायुक्त, बिहार का पत्रांक दिनांक–12.09.2024 द्वारा वर्ष 2024–25 से लेकर 2026–27 तक के लिए ईख आवंटन संबंधित चीनी मिलों को किया गया था, जिसमें यूनाइटेड प्रोविन्स सुगर कंपनी, सेवरही भी शामिल था। उक्त आदेश के विरूद्ध बगहा चीनी मिल द्वारा माननीय सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष अपील संख्या–03/2025 (मेसर्स तिरूपति शुगर्स मिल्स लि० बनाम ईख आयुक्त,	

30/9/2026

30.09.2026	बिहार) दाखिल किया जिसमें माननीय सचिव/अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक–22.08.2025 द्वारा पश्चिमी चम्पारण जिला के अंतर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के सभी 8 ग्रामों को पेराई सत्र 2025–26 के लिये पूर्व की भाँति मेसर्स तिरूपति शुगर्स मिल्स लि०, बगहा, पश्चिमी चम्पारण को अपरम्परागत रूप से इस शर्त के साथ आरक्षित किया गया कि उक्त ग्रामों के आरक्षित किसानों के द्वारा आपूर्ति कराये जाने वाले गन्ना के लिए प्रर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेगें। गन्ना किसानों को भुगतेय राशि नियमानुसार समय–समय पर भुगतान किया जायेगा। गन्ना किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार अपीलीय प्राधिकार ने आदेश दिनांक–22.08.2025 द्वारा ईखायुक्त के आदेश दिनांक–28.10.2024 को अन्यथा निरस्त या संशोधित नहीं किया। इस प्रकार अपीलीय प्राधिकारी महोदय के आदेश की समयावधि समाप्त हो गयी और आदेश दिनांक–28.10.2024 पुनः प्रभावी हो गया है। ईखायुक्त, बिहार द्वारा मूल आदेश दिनांक–28.10.2024 को संशोधित करते हुए शुद्धिपत्र दिनांक–08.07.2025 द्वारा कतिपय संशोधन के साथ आदेश दिनांक–28.10.2024 को संशोधित रूप से प्रभावी कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्ष में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं किया है। इसलिए **आदेश संख्या–1047 दिनांक–07.07.2025 विधिक रूप से अंतिम हो चुका है।** इस आदेश का प्रवर्तन काल आदेश तीन वर्षों 2024–25 से 2026–27 के लिए पूर्व पारित आदेशानुसार है। इसलिए नये सिरे से आवंटन के बजाय उपरोक्त आदेश दिनांक–07.07.2025 को वर्ष–2026–27 के लिए अंतिम कर लिया जाना उचित व न्यायसंगत है। **अतएव उक्त आदेश की पुनः सुनवाई किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।** *मेसर्स सेवरही चीनी मिल के आवेदन का मुख्य आधार यह है कि प्रासंगिक गाँव सहित ठकराहाँ प्रखण्ड के अन्य गाँव के संबंध में क्षेत्र आरक्षण का आदेश दिनांक–12.09.2024 को पारित किया गया। यह आदेश वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक तीन वर्षों के लिए लागू किया गया था। क्षेत्र आरक्षण के प्रथम वर्ष अर्थात 2024–25 में सेवरही चीनी मिल ने आरक्षित क्षेत्र से गन्ना की खरीद की। इस संबंध में ईखायुक्त के द्वारा दिनांक–07.07.2025 को पारित आदेश में विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसके अगले वर्ष 2025–26 में अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में सेवरही चीनी मिल ने वर्ष 2024–25 में जिन गाँवों से गन्ना की खरीद की थी, उन गाँवों से वर्ष 2025–26 में गन्ना की खरीद नहीं कर पाये। अन्य चीनी मिलों यथा विष्णु चीनी मिल एवं सिधवलिया चीनी मिल के द्वारा वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में ठकराहाँ प्रखण्ड के किसानों से गन्ना की खरीद की है। चूँकि सेवरही चीनी मिल जिन गाँवों से गन्ना खरीद के लिए इच्छुक है, वे गाँव अपीलीय प्राधिकार के आदेश के परिणाम स्वरूप ईखायुक्त द्वारा पारित क्षेत्र आरक्षण आदेश वर्ष 2025–26 के लिए बगहा चीनी मिल को आरक्षित हो गया। अतएव सेवरही चीनी मिल वर्ष 2025–26 में गन्ना की खरीद नहीं कर पायें। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध प्रभावित गाँव के किसानों ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में*	

30.09.2026	*सी.डब्लू.जे.सी. सं.–1090/2026 दायर किया है, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।* *यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी. डब्लू.जे.सी.सं.–15588, 16311/2004 मेसर्स विष्णु सुगर मिल बनाम राज्य सरकार मामले में पारित आदेश के द्वारा यह निर्देश है कि अपरम्परागत रूप से न्यूनतम **तीन वर्षों** के लिए क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा। इस दृष्टि से ईखायुक्त के द्वारा वर्ष 2024–25 में दिनांक–12.09.2024 को पारित आदेश को वर्ष 2026–27 तक प्रभावी रखना आवश्यक है। परंतु इसी क्रम में यह भी विचार करना आवश्यक है कि दिनांक–07.07.2025 को ईखायुक्त द्वारा पारित आदेश को अपीलीय प्राधिकार ने निरस्त अथवा संशोधित नहीं किया है। ईख अधिनियम के आलोक में ईख आयुक्त स्वयं अपने आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई नहीं कर सकता है। इस हद तक सेवरही चीनी मिल का आवेदन विचारणीय हो जाता है। परंतु अपीलीय प्राधिकार के आदेश से वर्ष 2025–26 के लिए दिनांक–07.07.2025 को ईखायुक्त द्वारा पारित आदेश का प्रभाव प्रासंगिक आठ गाँवों के संदर्भ में 01 वर्ष अर्थात 2025–26 के लिए विलम्बित हो गया। वर्तमान वर्ष 2026–27 में बगहा चीनी मिल द्वारा संदर्भित गाँवों के किसानों से गन्ना खरीद किस प्रकार होगा, इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक है। अतएव सेवरही चीनी मिल का आवेदन जिसमें सुनवाई नहीं करने का निवेदन किया गया है को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है।* (3.) **(क) क्या ईखायुक्त द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश से प्रासंगिक गाँव आच्छादित है एवं क्या इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है ?** **(ख) क्या बगहा चीनी मिल के पक्ष में आठ गाँव (भुआल पट्टी, कोईरी पट्टी, भटहवाँ, जगीराहाँ, ठकराहाँ, मलाही टोला, मोती टोला एवं सिसवनिया) को आरक्षित की जा सकती है ? क्या बगहा चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षण किये बिना भी इन गाँवों से बगहा चीनी मिल को गन्ना खरीद की अनुमति दी जा सकती है?** उक्त संबंध में विभिन्न पक्षों को सुनने एवं अभिलेखों के परिशीलन से प्रतीत है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के ग्रामों के आरक्षण के संबंध में चीनी मिलों का पक्ष सुनकर एवं किसानों के परिवाद पर समुचित सुनवाई के पश्चात् विभागीय आदेश संख्या–02/रेगु०–800–06/2024–936/ई०का० दिनांक–12.09.2024 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया था :– "(1) दी यूनाईटेड प्रोविन्सेज सुगर कम्पनी लि० सेवरही को ठकराहाँ प्रखण्ड के कोयरीपट्टी पंचायत अंतर्गत सभी राजस्व गांवो/टोलो को वर्ष–2024–25 से वर्ष 2026–27 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित इस शर्त के साथ किया जाता है कि :– (क) चीनी मिल के द्वारा किसानों को उत्तरप्रदेश राज्य अथवा बिहार राज्य में लागू दर जो अधिक हो, पर गन्ना का क्रय किया जाएगा।	

30/9/2026

30.09.2026	(ख) चीनी मिल के द्वारा गन्ना विकास का कार्य किया जाएगा। (ग) अधिनियम प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य में कार्यालय स्थापित करने एवं निर्धारित शुल्क यथा समय जमा की जाएगी। (2) मेसर्स तिरूपति सुगर मिल्स, बगहा को जगीराहाँ एवं ठकराहाँ पंचायत के अंतर्गत सभी राजस्व गांवो/टोलों को वर्ष–2024–25 से वर्ष–2026–27 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है। इस मिल को पूर्व में ईखायुक्त के आदेश संख्या–1095 दिनांक–20.09.2023 द्वारा आरक्षित क्षेत्र को इस हद तक संशोधित किया जाता है। (3) भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को रूपा टोला एवं शेरा टोला गांव/ टोला को छोड़कर मोतीपुर पंचायत अंतर्गत शेष सभी गांव एवं टोलो को वर्ष–2024–25 से वर्ष–2026–27 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है। (4) मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज के मोतीपुर पंचायत अंतर्गत रूपा टोला एवं शेरा टोला को वर्ष 2024–25 से वर्ष 2026–2027 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित की जाती है "। *यह आदेश वर्ष 2024–25 में लागू हुआ। अर्थात मेसर्स सेवरही चीनी मिल, सिधवलिया चीनी मिल एवं विष्णु चीनी मिल के द्वारा सक्षम आदेश के आलोक में किसानों से गन्ना की खरीद की गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बगहा चीनी मिल को आरक्षित क्षेत्र के जगीराहाँ गाँव में अतिरिक्त गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी जिससे किसानों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हुआ एवं कालांतर में किसानों से गन्ना खरीद मेसर्स सिधवलिया चीनी मिल को करना पड़ा।* *वर्तमान में बगहा चीनी मिल के द्वारा क्षेत्र आरक्षण के लिए जगीराहाँ गाँव भी शामिल है जिसके संबंध में 2024–25 में सक्षम आदेश के बावजूद इस चीनी मिल ने गन्ना का क्रय किसानों से नहीं किया। इस प्रकार से वर्तमान में जगीराहाँ गाँव को पूरी तरह से मेसर्स बगहा चीनी मिल को आरक्षित करने पर भविष्य में किसानों को समस्या उत्पन्न हो सकता है।* यह भी उल्लेखनीय है कि ईखायुक्त के दिनांक–12.09.2024 के आदेश के विरूद्ध मेसर्स तिरूपति सुगर्स मिल्स लि० द्वारा सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष अपील संख्या–01/2025 दायर किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष को सुनने के पश्चात् दिनांक–21.02.2025 को आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :– "मिल प्रबंधक, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लिमिटेड, बगहा, पश्चिम चम्पारण को ईखायुक्त, बिहार द्वारा दिये गये आदेश (आदेश संख्या–936/ई०का० दिनांक–12.09.2024) के कार्यान्वयन के संबंध में पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के सभी राजस्व गाँवो/टोलों को पुनः अपरम्परागत रूप से आरक्षित करने हेतु ईखायुक्त, बिहार के समक्ष आवेदन पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया है। याचिकाकर्त्ता के द्वारा दिये गये आवेदन पर ईखायुक्त, बिहार सुनवाई का मौका देते हुए सकारण आदेश पारित करेगें"।	

30/9/2026

30.09.2026	उक्त आदेश के आलोक में ईखायुक्त, बिहार विभागीय आदेश पत्रांक–02–रेगु०–800–06/2024–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 से पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के ग्रामों के कोयरी पट्टी पंचायत अन्तर्गत सभी राजस्व गांवो/टोलो के आरक्षण हेतु निम्नवत आदेश पारित किया गया :– " सेवरही/बगहा/विष्णु/सिधवलिया चीनी मिल को आदेश संख्या–936 दिनांक–12.09.2024 द्वारा अपरम्परागत रूप से आरक्षित क्षेत्र संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है। ठकराहाँ प्रखण्ड अंतर्गत ठकराहाँ/जगीराहाँ/ मोतीपुर पंचायत/शेरा टोला/मोती टोला/रूपा टोला के किसान सेवरही अथवा बगहा अथवा सिधवलिया अथवा विष्णु सुगर मिल से गन्ना के आपूर्ति के संबंध में लिखित समझौता कर सकते है। एक ही किसान दो चीनी मिल के साथ एकरारनामा नहीं कर सकते है, अर्थात एक किसान एक ही चीनी मिल से गन्ना आपूर्ति का एकरारनामा/अनुबंध करेंगे। किसान एवं चीनी मिल के द्वारा एकरारनामा/अनुबंध पत्र पर यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि किसान स्वयं की भूमि पर खेती करते है अथवा गैररैयत है। भूमि के संबंध में खाता–खेसरा एवं रकवा अंकित करना होगा, जैसा कि गन्ना क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किया जाता है। यदि किसान रैयती किसान नहीं है तो सर्वेक्षण नीति में विहित प्रावधान का अनुकरन करते हुए जमीन के संबंध में घोषणा दे सकते है। जमीन के विवरण अर्थात् रकवा के साथ–साथ अनुमानित उपज तथा कुल गन्ना उपज का अनुमान भी अंकित किया जाएगा। एकरारनामा/अनुबंध पत्र नोटरी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा। एकरारनामा/अनुबंध पत्र की एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसी एकरारनामा के आधार पर गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण आपूर्ति का कार्य किया जाएगा। एकरारनामा कम–से–कम 01 वर्ष तथा अधिक से अधिक 03 वर्ष के लिए किया जाएगा। किसान एवं चीनी मिल के बीच एकरारनामा की अंतिम तिथि उस वर्ष का 07 अगस्त निर्धारित होगा। सेवरही चीनी मिल को मिल गेट पर क्रय करने एवं अन्य चीनी मिलों को मिल गेट पर क्रय अथवा क्रय केन्द्र स्थापित करने की अनिवार्यता होगी। यदि अनुबंध पत्र के बाद भी चीनी मिल क्रय केन्द्र नहीं खोलते अथवा मिल गेट पर गन्ना खरीद नहीं करते हैं तो अनुबंध को रद्द करते हुए चीनी मिल के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी। संबंधित चीनी मिल ईख विकास का कार्य निश्चित रूप से करेंगे, ताकि किसानों के गन्ना उत्पादकता में वृद्धि हो सकें। उक्त आदेश के विरूद्ध मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि० द्वारा सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष अपील संख्या–03/2025 दायर किये। अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है :– " विभागीय पत्रांक–1095/ई०का० दिनांक–20.09.2023 द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के सभी 08 ग्रामों को पेराई सत्र 2025–26 के लिए पूर्व की भाँति मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, पश्चिम चम्पारण अपरम्परागत रूप से इस शर्त के साथ आरक्षित किया जाता है कि उक्त ग्रामों के आरक्षित किसानों के द्वारा आपूर्ति कराये जाने वाले गन्ना के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। गन्ना किसानों को भुगतेय राशि की नियमानुसार	

30.09.2026	समय पर भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जायेगा "। वर्तमान राउण्ड ऑफ लिटिगेशन में बगहा चीनी मिल द्वारा दिनांक–13.08.2026 को क्षेत्र आरक्षण संबंधी निवेदन पर दिनांक–14.08.2026 एवं दिनांक–30.09.2026 को सुनवाई की गयी। पूर्व में इसी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में बृहद सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किये गये हैं। तद्नुसार सुनवाई में भाग ले रहे किसानों एवं प्राप्त आवेदन के माध्यम से अनुरोध के आलोक में किसी एक चीनी मिल के पक्ष में सभी एक मत नहीं हैं, बल्कि किसानों का पक्ष विभाजित है। इसी प्रकार इस क्षेत्र के संबंध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदन भी किसी एक चीनी मिल के पक्ष में नहीं है, बल्कि यह भी विभाजित है। अर्थात कतिपय किसान एवं जनप्रतिनिधि सेवरही चीनी मिल के लिए क्षेत्र आरक्षण का अनुरोध करते हैं। इसी प्रकार कतिपय किसान एवं जनप्रतिनिधि मेसर्स बगहा चीनी मिल के लिए क्षेत्र आरक्षण का अनुरोध करते हैं। साथ ही कतिपय किसान मेसर्स विष्णु एवं सिधवलिया चीनी मिल के लिए क्षेत्र आरक्षण का अनुरोध करते हैं। बगहा चीनी मिल द्वारा निवेदित कतिपय गाँव यथा–कोयरीपट्टी पंचायत की दूरी सेवरही चीनी मिल से लगभग 4 कि.मी. है जबकि बगहा चीनी मिल से इसकी दूरी 55 कि.मी. है। नजदीक के चीनी मिल में किसान मिल गेट पर गन्ना की आपूर्ति कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल 20 रूपये अधिक का भुगतान मिलता है। अत्एव कतिपय किसानों को प्राप्त हो रहे अधिक मूल्य एवं अन्य सुविधा से वंचित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। बगहा चीनी मिल से दिनांक–13.08.2026 को प्राप्त निवेदन एवं इस क्रम में दिनांक–14.08.2026 को की गयी सुनवाई एवं इस क्रम में दिये गये निदेश के आलोक में बगहा चीनी मिल से प्राप्त प्रतिवेदन में यह साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस क्षेत्र में गन्ना के विकास के लिए बगहा चीनी मिल ने पुल, पुलिया इत्यादि का निर्माण किया हो या किसी विशेष कार्यक्रम को कार्यान्वित किया हो जिससे किसान लाभान्वित हुए हो। अत्एव इस आधार पर निवेदित आठ गाँवों को इसी चीनी मिल के साथ आरक्षित कर दिया जाय, इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। **पुनरावृति के बावजूद यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपरम्परागत रूप से आरक्षित नहीं होने पर भी वर्तमान में लागू आदेश के अंतर्गत बगहा चीनी मिल प्रासंगिक आठ गाँवों से गन्ना की खरीद कर सकते है।** उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण के सांगोपांग समीक्षा से स्पष्ट है कि ईखायुक्त द्वारा निर्गत आदेश संख्या–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 से प्रासंगिक गाँव आच्छादित है। अपीलीय प्राधिकार द्वारा ईखायुक्त के आदेश संख्या–936 दिनांक–12.09.2024 के एक अंश को अस्वीकृत करते हुए मात्र वर्ष 2025–26 के लिए प्रासंगिक आठ गाँवों के संबंध में बगहा चीनी मिल के पक्ष में पूर्व के आरक्षण आदेश को लागू करने का निदेश दिया गया है। अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में ईखायुक्त द्वारा निर्गत आदेश संख्या–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 को अपीलीय प्राधिकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया है	

30.09.2026	अथवा पुनः सुनवाई करने का आदेश भी पारित नहीं किया गया है। अत्एव ईखायुक्त द्वारा पारित आदेश संख्या–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 पर स्वयं अपील सुनकर नया आदेश पारित करना उचित नहीं है। तद्नुसार बगहा चीनी मिल के पक्ष में आठ गाँव (भुआल पट्टी, कोईरी पट्टी, भटहवाँ, जगीराहाँ, ठकराहाँ, मलाही टोला, मोती टोला एवं सिसवनिया) को आरक्षित नहीं की जा सकती है। इस आदेश का आशय मात्र इतना है कि ईखायुक्त द्वारा दिनांक–07.07.2025 को पारित आदेश को पुनः उल्लेखित कर वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया जाय। **तद्नुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि बगहा चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षण किये बिना भी इन गाँवों से किसानों की सहमति के आधार पर गन्ना खरीद की पूर्व से ही अनुमति प्राप्त है। इसे पुनः दोहराया जाता है।** बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31(1) में प्रावधान है कि "आरक्षित क्षेत्र की घोषणा :– (1) ईख आयुक्त, कारखाने की पेराई की क्षमता, ऐसे क्षेत्र में ईख की उपलब्धता तथा चीनी के उत्पादन की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए और संबंद्ध परिषद्, कारखाने के दखलकार तथा प्रभावित होने वाले अन्य कारखाने के दखलकारों से परामर्श करने के बाद और उठाई गई किसी आपत्ति पर विचार कर लेने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र का किसी खास पेराई साल या सालों में कारखानें को ईख की आपूर्ति के प्रयोजन से आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी कर सकेगा और उसी प्रकार ऐसे किसी आदेश को रद्द कर सकेगा या ऐसे आरक्षित किए गए क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन कर सकेगा।" अत्एव गन्ना किसानों एवं गन्ना की खेती का व्यापक हित है कि ईखायुक्त द्वारा पारित आदेश पत्रांक–02–रेगु०–800–06/2024–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 जिसे किसी भी अपीलीय प्राधिकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया है को यथावत् लागू किया जाय। अत्एव, बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :– **आदेश :– ठकराहाँ प्रखण्ड अंतर्गत ठकराहाँ/जगीराहाँ/मोतीपुर पंचायत /शेरा टोला/मोती टोला/रूपा टोला (जिसमें बगहा चीनी मिल द्वारा निवेदित आठ गाँव यथा–भुआल पट्टी, कोईरी पट्टी, भटहवाँ, जगीराहाँ, ठकराहाँ, मलाही टोला, मोती टोला एवं सिसवनिया) शामिल है, के किसान बगहा अथवा सेवरही अथवा सिधवलिया अथवा विष्णु सुगर मिल से गन्ना के आपूर्ति के संबंध में लिखित समझौता कर सकते है। एक ही किसान दो चीनी मिल के साथ एकरारनामा नहीं कर सकते है, अर्थात एक किसान एक ही चीनी मिल से गन्ना आपूर्ति का एकरारनामा/अनुबंध करेंगे।** किसान एवं चीनी मिल के द्वारा एकरारनामा/अनुबंध पत्र पर यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि किसान स्वयं की भूमि पर खेती करते है अथवा गैररैयत है। भूमि के संबंध में खाता–खेसरा एवं रकवा अंकित करना होगा, जैसा कि गन्ना क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किया जाता है। यदि किसान रैयती किसान नहीं है तो सर्वेक्षण नीति में विहित प्रावधान का अनुकरन	

30.09.2026	करते हुए जमीन के संबंध में घोषणा दे सकते है। जमीन के विवरण अर्थात् रकवा के साथ–साथ अनुमानित उपज तथा कुल गन्ना उपज का अनुमान भी अंकित किया जाएगा। एकरारनामा/अनुबंध पत्र नोटरी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा। एकरारनामा/अनुबंध पत्र की एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसी एकरारनामा के आधार पर गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण आपूर्ति का कार्य किया जाएगा। एकरारनामा कम–से–कम 01 वर्ष के लिए किया जायेगा। सेवरही चीनी मिल को मिल गेट पर क्रय करने एवं अन्य चीनी मिलों को मिल गेट पर क्रय अथवा क्रय केन्द्र स्थापित करने की अनिवार्यता होगी। यदि अनुबंध पत्र के बाद भी चीनी मिल क्रय केन्द्र नहीं खोलते अथवा मिल गेट पर गन्ना खरीद नहीं करते हैं तो अनुबंध को रद्द करते हुए चीनी मिल के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी। संबंधित चीनी मिल ईख विकास का कार्य निश्चित रूप से करेंगे, ताकि किसानों के गन्ना उत्पादकता में वृद्धि हो सकें। इस आदेश का प्रभावी समय–सीमा वही होगी जो मूल आदेश संख्या–936/ई०का० दिनांक–12.09.2024 तथा अनुवर्ती संशोधित आदेश संख्या–1047/ई०का० दिनांक–07.07.2025 में निर्धारित है। चीनी मिलों के द्वारा बिहार राज्य में लागू गन्ना मूल्य के अनुसार ही किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है। यदि पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हो तो उन्हें ईख अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। **लेखापित एवं शुद्धित।** **ईखायुक्त, बिहार।**	